न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण(आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2018 (2018/00093)

1. श्रीमती सूरता पत्नी श्री भंवर लाल, उम्र 40 साल ग्राम चून्दडी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर — प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती अनोपी पत्नी श्री हरजी, कौम बैरवा, आयु बालिग
2. रोडू पुत्र स्व. श्री हरजी, कौम बैरवा. आयु बालिग...
3. जीवणराम पुत्र स्व. श्री हरजी, कौम बैरवा, आयु बालिग
4. विश्राम पुत्र स्व. श्री हरजी, कौम बैरवा, आयु बालिग
5 देवकरण पुत्र स्व. श्री हरजी. कौम बैरवा, आयु बालिग
6. कालू पुत्र स्व. श्री हरजी, कौम बैरवा, आयु चालिग
7. सूरता पत्नी श्री रघुनाथ कौम बैरवा, आयु बालिग सर्व निवासी ग्राम चून्दडी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
8 राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार महोदय, अरांई

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 24/2/2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री विजेन्द्र सिंह

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीया के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम चून्दडी में स्थित है जिसके खसरा संख्या 15 रकबा 13 बीघा 17 बीस्वा है जिसमें प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा निहित है। वाद पत्र में वर्णित प्रार्थिया के संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं.15 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नं 272/18 स्थित है तथा उसके पश्चात ग्राम चुन्दडी से फलौदा जाने वाला रिकार्डेड आम रास्ता खसरा नं.– 128 स्थित है। प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 15 के चारों दिशाओं में निजी खातेदारों की कृषि भूमि स्थित है, प्रार्थीया की भूमि खसरा नं.15 में पहुंचने के लिए प्रार्थीया चून्दडी से फलौदा जाने वाले रिकार्डेड आम रास्ता खसरा नं. 128 से सरकारी भूमि खसरा नं. 18/7 (18/7/3) में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नं. 272/18 के दक्षिण दिशा की सीध के सहारे सहारे होकर खसरा संख्या 18/5 की सीमा से खसरा नं.272/18 में उत्तर दिशा की ओर घुसकर खसरा संख्या 15 में पहुंचती है। यह रास्ता चुन्दडी से फलौदा जाने वाले रास्ते से शुरू होकर पूर्व दिशा में खसरा संख्या 18/7 की उत्तरी व खसरा संख्या 272/18 की दक्षिणी सीमा से होता हुआ खसरा नं0 18/5 की सीमा में आकर खसरा नं. 272/18 में उत्तर दिशा में प्रविष्ट होकर पुन: पूर्व दिशा की ओर घूमकर खसरा नं.15 में खसरा नं. 18/5 व खसरा नं. 15 की सीमा पर आकर मिलता हैं। प्रार्थीया इसी रास्ते से अपने ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि

त्र, चारा उपज आदि अपने खेत में लाते ले जाती है। प्रार्थीया के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया के पास यही एक मात्र लघुतम व निकटतम रास्ता है जो प्रार्थीया के खेत खसरा नं 15 से शुरू होकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नं. 272/18 की दक्षिणी दिशा की सींव से होकर खसरा नं.–18/7 में से होता हुआ ग्राम चुन्दडी से फलौदा जाने वाले रिकार्डेड आम रास्ता खसरा न 128 तक जाता है। उपरोक्त रास्ते की चौडाई काश्त करने के लिए वर्तमान मशीनरी युग में काश्त हेतु मशीनी उपकरण लाने–ले जाने के लिए कृषि उपज लाने ले जाने के लिए कम से कम 30 फीट रास्ता होना आवश्यक व जरूरी है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया की भूमि के चारों तरफ निजी खातेदारों की भूमियां स्थित है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से मार्क ए से बी वसी से डी से दर्शाया गया है। नक्शा प्रार्थना पत्र का एक अंग है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिजन अप्रार्थी संख्या 2 से 6 आये दिन प्रार्थीया के रास्ते के आवगामन में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवारजन अप्रार्थी संख्या–2 से 6 ने दिनांक 20.02.2018 को प्रार्थीया को रास्ते से आने–जाने में बाधा उत्पन्न करते हुए प्रार्थीया को धमकी दी कि वह अब रास्ता बन्द करके प्रार्थीया का आवागमन बन्द करके रहेंगे। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवारजन अप्रार्थी संख्या2 से 6 कभी भी मौका पाकर प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नं. 15 तक पहुंचने वाले रास्ते को बन्द करने पर आमादा है। प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई दुर्भावना नहीं है। कानूनन प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ता होना आवश्यक माना गया है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि पैरा संख्या 3 में वर्णित व नक्शे में दर्शित रास्ते को सहमति से करार द्वारा कायम कर लिया जावे। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने कतई इन्कार कर दिया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। गांवों में प्रचलित प्रथा अनुसार काश्तकार अपने खेतों तक पहुंचने के लिए खेतों की सींव मेड पर से आते–जाते है। यह प्रथा प्राचीनकाल से चली आ रही है। प्रार्थीया पैरा संख्या–3 में वर्णित रास्ते से ही अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 15 तक आती जाती रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत किसी भी काश्तकार को अपनी भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी पडौसी काश्तकारों से रास्ता की मांग कर रास्ता कायम करवा सकता है। प्रार्थीया को विधि द्वारा रास्ता का अधिकार प्रदत्त किया गया है। इस कारण प्रार्थीया को रास्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि खसरा नं.–15 में पहुंच के लिए प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित व नक्शे में दर्शित रास्ता ही एक मात्र लघुतम निकटतम, सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने व नक्शे में तरमीम नहीं होने से प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिजवारजन अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित रास्ते को कायम किये जाने बाबत माननीय न्यायालय जिस प्रकार भी आदेश पारित करना उचित समझती है, उक्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थी तत्पर व तैयार है। प्रार्थीया रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर अनुसार राशि अदा करने में सहमत है। दिनांक 20.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवारजन अप्रार्थी संख्या 2 से 6 द्वारा प्रार्थीया के रास्ते के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने पर वाद कारण ग्राम चून्दडी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। प्रार्थिया के खसरा नं.– 15 के अन्य सहखातेदारान अप्रार्थी संख्या 2 से 6 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र है जो अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते है। अप्रार्थी संख्या 7 के प्रार्थिया के साथ संयोजित होकर,

ना पत्र प्रस्तुत करने में उदासीन रवैया अपनाने के कारण प्रार्थिया अपने खातेदारी धिकारों के तहत अकेली ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः प्रार्थीया माननीय न्यायालय से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करती है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–3 में वर्णित एवं संलग्न नक्शे में दर्शित लाल रंग के ए से बी खसरा नं. 272/18 में तथा सी से डी. खसरा नम्बर 18/7/3 (18/7) में 30 फीट चौडे रास्ते को कायम कर प्रार्थीया की भूमि खसरा नं.–15 में जाने का रास्ता कायम किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने तथा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा उक्त रास्ता प्रार्थीया की भूमि तक पहुंच के लिए कायम होने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.04.2018 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 25.09.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 (अनोपी, रोडू, जीवणराम, विश्राम, देवकरण, कालू) की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 1 स्वीकार है। ग्राम चून्दडी के खसरा नम्बर 15 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा निहित होकर खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/3 है जिसमें वे काबिज होकर संयुक्त रूप से काबिज काश्त खातेदार है। शेष 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीया ने ये कही भी अंकित नहीं किया की वह किस जगह काबिज है। प्रार्थीया ने उल्लेख किया है की अर्से दर्राज से गाडी, ट्रेक्टर, ट्रोली से उपज अपने खेत पर लाती ले जाती है। प्रार्थीया ने उक्त कृषि भूमि रामा पुत्र गणेश का 1/3 हिस्सा क्रय किया था जिसका नामांतकरण संख्या 743 दिनांक 27.09.2016 को राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया गया है। अर्से दराज का कथन गलत उल्लेख किया गया है, अर्से दराज से प्रार्थीया का उक्त भूमि से कोई वास्ता नहीं था। उक्त रास्ता के खसरा नम्बर 15 के लिये है, 30 फिट का रास्ता अधिक होता है, 15 फिट के रास्ते से आसानी से ट्रेक्टर ट्रोली लाई, ले जा सकती है। प्रार्थीया ने गलत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया खसरा नम्बर 128 चून्दडी से फलोदा जाने वाले रास्ते खसरा संख्या 128 से खसरा नम्बर 18/7 से खसरा संख्या 18/5 से आसानी से आ जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे मे दर्शित रास्ता ही प्रार्थीया के लिये एकमात्र लघुतम, निकटतम, एंव सुविधाजनक है। जो कि जवाब प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है उसमें A से B रास्ता दर्शाया गया है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 5 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया खसरा नम्बर 15 मे 1/3 हिस्से की दर्ज खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/3 है जिसमें वे काबिज होकर संयुक्त रूप से काबिज काश्त होकर खातेदार है। शेष 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है, प्रार्थीया को सर्वप्रथम उक्त भूमि विभाजन करवा कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। प्रार्थीया खसरा नम्बर 15 मे किस स्थान पर काबिज है स्वंय को जानकारी नहीं है। प्रार्थीया द्वारा तहसीलदार किशगनढ को पक्षकार नहीं बनाया गया है साथ ही 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस भी नहीं दिया गया है। खसरा संख्या 18/5 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 05.3.2021 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 07 का जवाब बन्द कर दिया गया। दिनांक 13.04.2022 को तहसीलदार किशगनढ की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुये जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि ग्राम चुन्दडी प्रस्तावित रास्ता खसरा सं. 327/18 बिलानाम सिवायचक एवं खसरा सं. 272/18 अनोपी पत्नि हरजी की खातेदारी भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

ावित रास्ते हेतु आवश्यक अधिग्रहण भूमि, खसरा सं. 327/18 बिलानाम सिवायचक कुल रकबा 3.0742 हैक्टेयर किस्म गै.मु. हरड़ी में से 0.0512 है. (512 वर्ग मी.) तथा खसरा सं. 272/18 खातेदार अनोपी पत्नि हरजी कुल रकबा 0. 5016 हैक्टेयर में से 0.0092 हैक्टेयर (92 वर्ग मी.) भूमि कृषि कार्य के आवागमन हेतु आवश्यक होगी। रास्ते की चौडाई बिलानाम में 30 फीट व खातेदारी में 15 फिट है। उक्त प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर 180000 प्रति बीघा है।

हमारे द्वारा दिनांक 03.02.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 जो कि वादअधीन भूमि में सहखातेदार है, उन्होंने जवाब में जाहिर किया है कि भूमि खसरा संख्या 15 तक पहुंच हेतु मार्ग उपलब्ध है एवं भूमि खसरा संख्या 18/7/3 राजकीय भूमि है और प्रार्थी द्वारा भूमिधारी तहसीलदार किशनगढ को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सहखातेदार स्वयं यह स्वीकार कर रहें है कि रास्ता मौजूद है, प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है एवं मौके पर वैकल्पिक रास्ता चालू है। अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) को इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)